Court Case No - 414/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-1318/MP/33/2023-ESDW

श्री प्रतीक हजेला,
प्रमुख सचिव,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल -462016 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: pssocialjustice@mp.gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें काअन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 12.04.2023 को 02:30 बजे,**आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को स्पेशल बी. एड. कोर्स की छात्रवृति प्रदान नहीं करने के संबंध मे सुश्री दिव्या सिंह चौहान, आनंद नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश का अभ्यावेदन।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 13.02.2023.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 28, मार्च, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES